कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, इटावा।

संख्या /जि0आ0अ0–इटावा/व्यवस्थापन 20–21/ई–लाटरी/ दिनांक जुलाई, 2020

विज्ञप्ति

इस कार्यालय से निर्गत पूर्व विज्ञप्ति संख्याः 90/जि0आ0अ0–इटावा/व्यवस्थापन 2020–21 /दिनांकः 08.06.2020 (जो etawah.nic.in में प्रदर्शित है) के क्रम में ई–लॉटरी के तृतीय चरण के उपरांत चतुर्थ चरण में जनपद इटावा के लिये नवसृजित बीयर की 07 दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क0 सं0	बीयर दुकान का नाम	शाप मास्टर आई.डी.	दुकान की प्रास्थिति	प्रोसेसिंग शुल्क	वर्ष 2020–21 की लाइसेंस फीस	प्रतिभूति धनराशि वर्ष 2020–21	धरोहर धनराशि	हैसियत मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चितभवन	35048	VILL	20000	150000	15000	15000	150000
2	पूठन सकरौली	35060	VILL	20000	90000	9000	9000	90000
3	किल्ली	35067	VILL	20000	85000	8500	8500	85000
4	उमरसेंड़ा	35074	VILL	20000	100000	10000	10000	100000
5	नाला बरी	35081	VILL	20000	85000	8500	8500	85000
6	उझियानी	35087	VILL	20000	90000	9000	9000	90000
7	धनुआ	35091	VILL	20000	90000	9000	9000	90000

ई–लाटरी हेतु समय सारणी–

क्र0सं0	दिनांक व समय	विवरण
1	13.07.2020 प्रातः 11:00 बजे से	चतुर्थ चरण के लिये ई–लाटरी पोर्टल upexciselottery.gov.in पर आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ।
2	20.07.2020 सायं 05:00 बजे तक	ई–लाटरी हेतु आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय।
3	24.07.2020 प्रातः 11.00 से अपराहन 01:00 बजे तक	ई–लाटरी खुलने की तिथि, स्थान– मीटिंग हॉल कलेक्ट्रेट, इटावा।

आवेदको के लिये दि�ाा निर्दे�ाः–

1. इच्छुक आवेदकों को सर्वप्रथम ई–लाटरी प्रणाली पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर पंजीकृत करना होगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020–21 हेतु नवीनीकृत हुयी दुकानों के अनुज्ञापियों को नवीनीकरण प्रक्रिया में उपलब्ध कराये गये यूजर आई0डी0 व पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगिन करते हुये सीधे आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा होगी।
2. आवेदक को निर्धारित फार्मेट एवं साइज की अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, हैसियत प्रमाण पत्र/धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी, धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट एवं शपथ

पत्र की फाइल कम्प्यूटर/पेन ड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहे।

3. **ई–लाटरी हेतु प्रोसेसिंग फीस (20000/–रू0) आनलाइन जमा करना है। किसी तकनीकी कारण से आनलाइन प्रोसेसिंग फीस जमा न होने की दशा में इसके स्थान पर जिला आबकारी अधिकारी इटावा के नाम से राश्ट्रीयकृत बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार किये जायेगे।**
4. **धरोहर धनराशि तथा प्रोसेसिंग फीस के ड्राफ्ट 20.07.2020 को सायंकाल 05:00 बजे तक प्रत्येक दशा में जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**
5. पंजीकरण हेतु आवेदक को अपना आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर भरना होगा, आवेदक के मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 को निर्दिष्ट स्थल पर भरने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जिसमें आवेदक वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करेगा।
6. प्राप्त आई0डी0 व पासवर्ड के आधार पर पोर्टल पर लांगिन करके आवेदक अपनी इच्छानुसार जनपद की आबकारी दुकान से सम्बन्धित विवरण देख कर आवेदन की कार्यवाही करेगा।
7. सह आवेदक की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। एक दुकान पर एक आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं होगे। आनलाइन जमा की गयी प्रोसेसिंग फीस की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
8. वांछित धरोहर धनराशि का बैक ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी, इटावा के नाम से बना हुआ ही स्वीकार होगा एवं इसका प्रयोग लाटरी के किसी चरण में केवल आवेदित दुकान के सम्बन्ध में ही किया जायेगा, यदि किसी बैक ड्राफ्ट को लाटरी के किसी चरण में एक से अधिक आवेदित दुकानों के आवेदन पत्रों में अपलोड किया पाया जायेगा तब प्रथम आवेदन पत्र को छोडकर शेष समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।
9. अन्य नियमानुसार देय धनराशियां यथा बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि समयान्तर्गत जमा करना अनिवार्य होगा।
10. वर्ष–2020–21 में किसी आवेदक को सम्पूर्ण उ0प्र0 में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शॉप को मिला कर दो से अधिक दुकाने आवंटित नही की जायेगी।

व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी किसी कार्य दिवस में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, इटावा व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

(कमल कुमार भाुक्ल)
जिला आबकारी अधिकारी
इटावा

(जे0बी0 सिंह)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
इटावा

संख्या /तददिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, इटावा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद की वेबसाइट पर विज्ञप्ति अपलोड कराने का कष्ट करे।

(कमल कुमार भाुक्ल)
जिला आबकारी
अधिकारी
इटावा।